# MGD GIRLS' SCHOOL, JAIPUR

# Most Urgent

Circular Number: 1102

# Registration of Your Ward: APAAR ID

## Dear Parents,

1. Ref Government Order (District Education Officer, Jaipur) Dated 16.11.2024.

### 2. Introduction

In alignment with the NEP 2020 and the NCRF, the Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) ID is introduced as a pivotal component. The APAAR ID embodies the vision of "One Nation, One Student ID," ensuring a unified and accessible academic experience for students across India. The APAAR ID serves as a lifelong academic passport, consolidating all achievements and credentials of a student in one place.

# a. Key Features of APAAR

### **Lifelong Academic Identity**

- i) APAAR assigns a unique and permanent 12-digit ID to every student, offering a comprehensive record of their academic achievements, including degrees, scholarships, awards, and other credits.
- ii) This identifier remains with the student throughout their educational career, fostering a seamless transition from one level of education to another.

# b. How APAAR Works

- i) Schools: Record and manage students' academic data, achievements, and activities in APAAR.
- ii) Higher Education Institutions (HEIs) and Skill Institutes: Access students' academic history and records for admission and recruitment purposes.
- iii) Students: Digitally store and retrieve comprehensive academic records, achievements, and co-curricular accomplishments.
- iv) HEIs/Skill Industries: Access and verify students' complete academic data for admission or recruitment purposes.

## c. Benefits to Students

- i) Unified Academic Identity: A single platform to consolidate and showcase academic records.
- ii) Streamlining Student Records: Simplifying record-keeping for students, parents, and educators.
- iii) Digital Repository: Securely storing academic data and achievements.

iv) Seamless Academic Mobility: Facilitating smooth transitions between educational levels.

# d. Data Security and Confidentiality

- APAAR prioritizes data security and confidentiality, sharing information only with necessary government agencies for privacy and security.
- ii) Consent-based document sharing ensures that students have control over the information shared through APAAR.

# e. Academic Progress Tracking

- i) Students can effortlessly monitor their academic journey, enabling personalized study plans and real-time performance analytics.
- ii) The system aids in skill gap analysis and provides industryrelevant content for up skilling programs.

# f. APAAR Registration Process

- i) Step 1: Verification: Visit the school to verify demographic details
- ii) Step 2: Parental Consent: Obtain parental consent if the student is a minor
- iii) Step 3: Authentication: Authenticate identity through the school
- iv) Step 4: ID Creation: Upon successful verification, the APAAR ID is created and added to Digi Locker for secure online access

# **Action by the Parents**

- 3. This is a mandatory requirement of the Central/State GOVT.
- 4. Hard Copy of duly signed consent form will be deposited by the Parents along with copy of student Adhaar and copy of consenter ID proof. Sample format is being handed over to your ward through the Class teacher/copy through email/web page
- 5. Last date of submission of consent form 25<sup>rd</sup> November 2024.

Principal

#### M.G.D. GIRLS' SCHOOL, JAIPUR

#### अति आवश्यक

परिपत्र संख्या : //02

आपकी पुत्री का पंजीकरण: APAAR ID

प्रिय अभिभावक,

1. संदर्भ सरकारी आदेश (जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर) दिनांक 16.11.2024.

#### 2. परिचय

NEP 2020 और NCRF के अनुरूप, स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) आईडी को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पेश किया गया है। APAAR आईडी "एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी" के दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो पूरे भारत में छात्रों के लिए एक एकीकृत और सुलभ शैक्षणिक अनुभव सुनिश्चित करता है। APAAR आईडी एक आजीवन शैक्षणिक पासपोर्ट के रूप में कार्य करता है, जो एक छात्र की सभी उपलब्धियों और साख को एक ही स्थान पर समेकित करता है।

### APAAR की मुख्य विशेषताएं:

#### आजीवन शैक्षणिक पहचान

- i) APAAR प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय और स्थायी 12-अंकीय आईडी प्रदान करता है, जो डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का एक व्यापक रिकॉर्ड पेश करता है।
- ii) यह पहचानकर्ता पूरे शैक्षिक करियर के दौरान छात्र के साथ रहता है, जिससे शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक निर्बाध परिवर्तन को बढावा मिलता है।

#### APAAR कैसे काम करता है

- i) स्कूल: APAAR में छात्रों के शैक्षणिक डेटा, उपलब्धियों और गतिविधियों को रिकॉर्ड और प्रबंधित करें।
- ii) उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) और कौशल संस्थान: प्रवेश और भर्ती उद्देश्यों के लिए छात्रों के शैक्षणिक इतिहास और रिकॉर्ड तक पहुंचें।
- iii) छात्र: व्यापक शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपलब्धियों और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहीत और पुनः प्राप्त करें।
- iv) एचईआई/कौशल उद्योग: प्रवेश या भर्ती उद्देश्यों के लिए छात्रों के संपूर्ण शैक्षणिक डेटा तक पहुंच और सत्यापन करें। छात्रों को लाभ
- i) एकीकृत शैक्षणिक पहचान: शैक्षणिक रिकॉर्ड को समेकित और प्रदर्शित करने के लिए एक एकल मंच।
- ii) छात्र रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना: छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए रिकॉर्ड रखने को सरल बनाना।
- iii) डिजिटल रिपॉजिटरी: शैक्षणिक डेटा और उपलब्धियों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना।
- iv) निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता: शैक्षिक स्तरों के बीच सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना।

19/11/29

# डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

- i) एपीएआर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देता है, गोपनीयता और सुरक्षा के लिए केवल आवश्यक सरकारी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है।
- ii) सहमित-आधारित दस्तावेज़ साझाकरण यह सुनिश्चित करता है कि APAAR के माध्यम से साझा की गई जानकारी पर छात्रों का नियंत्रण है।

# शैक्षणिक प्रगति ट्रैकिंग

- i) छात्र व्यक्तिगत अध्ययन योजनाओं और वास्तविक समय प्रदर्शन विश्लेषण को सक्षम करके, आसानी से अपनी शैक्षणिक यात्रा की निगरानी कर सकते हैं।
- ii) प्रणाली कौशल अंतर विश्लेषण में सहायता करती है और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए उद्योग-प्रासंगिक सामग्री प्रदान करती है।

## APAAR पंजीकरण प्रक्रिया

- i) चरण 1: सत्यापन: जनसांख्यिकीय विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल का दौरा करें
- ii) चरण 2: माता-पिता की सहमति: यदि छात्र नाबालिंग है तो माता-पिता की सहमति प्राप्त करें
- iii) चरण 3: प्रमाणीकरण: स्कूल के माध्यम से पहचान प्रमाणित करें
- iv) चरण 4: आईडी निर्माण: सफल सत्यापन पर, एपीएआर आईडी बनाई जाती है और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के लिए डिजी लॉकर में जोडा जाता है।

# माता-पिता द्वारा कार्रवाई

- 3. यह केंद्र/राज्य सरकार की अनिवार्य आवश्यकता है।
- 4. माता-पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमित पत्र की हार्ड कॉपी छात्र आधार की प्रति और सहमितकर्ता आईडी प्रमाण की प्रति के साथ जमा की जाएगी। नमूना प्रारूप आपके वार्ड को कक्षा शिक्षक/प्रतिलिपि ईमेल/वेब पेज के माध्यम से सौंपा जा रहा है
- 5. सहमित पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 25 नवंबर 2024.

प्रधानार्ग नार्ग

APAAR ID बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता / माता / कानूनी अभिभावक की सहमति
विद्यालय का नाम
में समझता / तीहूँ कि मेरी APAAR ID सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी जैसा कि शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त, मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (नाम, पता, आयु, जन्मतिथि, लिंग और फोटो) विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे UDISE+ डेटाबेस, छात्रवृत्ति, रखरखाव अकादिमक अभिलेख, अन्य हितधारकों जैसे शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियोंको उपलब्ध कराई जाएगी।
मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधान के अनुसार UIDAI के साथ आधार आधारित प्रमाणीकरण करने हेतु अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि UIDAI सफल प्रमाणीकरण पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरे e-KYC विवरण, या "हाँ" में दी गई प्रतिक्रिया को साझा करेगा।
में समझता / ती हूँ कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित होने के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी।  में समझता / ती हूँ कि मैं किसी भी समय या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता / ती हूँ और मेरे द्वारा सहमति वापस लेने पर, मेरी पूर्व में साझा जानकारी का प्रसंस्करण बंद हो जाएगा, हालांकि, पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डेटा मेरी इस प्रकार सहमति वापस लेने पर अप्रभावित रहेगा।  भौतिक सहमति की तिथि
भौतिक सहमति का स्थान (हस्ताक्षर )
मैं,विद्यालय प्रमुख या अधिकृत शिक्षक / कर्मचारी के रूप में यह घोषणा करता / ती हूँ कि (विद्यार्थी का नाम)
तिथि(हस्ताक्षर)

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर

कमांक जिशिअ / मु0मा० / जयपुर / लेखा–५ / फा–अपार आईडी जनरेशन /

दिनांक :-

सचिव / प्रधानाचार्य समस्त गैर सरकारी विद्यालय जयपुर शहर।

विषय: - अपार आईडी जनरेशन के संबंध में।

प्रसंग :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के मीटिंग नोटिस कमांक रास्कूलशिप/प्लान/अपार मीटिंग/दिनांक :- 16.11.2024

उपर्युक्त विषय के कम में लेख है कि प्रासंगिक मीटिंग नोटिस द्वारा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपार आईडी जनरेशन के कार्य को अत्यन्त गंभीरता से लिया जा रहा है। राजस्थान के समस्त गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जानी है।

अतः उक्त संबंध में जयपुर शहर के संलग्न सूची अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करना सुनिश्चित करें। अपार आईडी जनरेट नहीं करने की स्थिति में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993, संशोधित नियम 2011 के अनुसार 8(ख) के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार (सूची)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपूर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suni Kumar Singhal

Designation : District Education Officer Date: 2024.11.16 15:52:22 IST

Reason: Approved

